पत्र २

17/3/2021 पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। साक्षी pr.u. amr - 10 कल प्रकार है कि प्रतिपरीक्षार्थ लेखबद्ध →

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

1 to 4 की ओर से प्रा.प. धारा-10 के तहत इस आवेदन को प्रस्तुत किया गया कि हस्तगत वाद वर्णित आराजियात की बाबत वादी द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं.1 निम्बाहेड़ा में इन्हीं पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत इन्हीं आराजियात को लेकर दान पत्र अवैध व शून्य होने से निरस्त कराने का दावा पेश कर रखा है जो विचाराधीन है इस प्रकार इस न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण पर पुनर्वाद का अधिकार नहीं रह जाता है वादी का उद्देश्य कानूनी तौर पर वाद बहुलता बढ़ाया जाना है। ऐसे इसी स्टेज पर रोका जाना आवश्यक है

खण्डन में वादी द्वारा प्रा.प. का उत्तर प्रस्तुत किया गया कि दान विलेख को निरस्त करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं होने से सिविल न्याया० में भी पेश किया गया है क्योंकि अधिकारिता सिविल न्याया० को ही है

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। CPC की धारा 10 में स्पष्ट प्रावधान है कि वाद की बहुलता को रोका जाना अति आवश्यक है इसी कारण से CPC की धारा 10 को उपबंधित किया गया है जिसका उद्देश्य कानूनी बाध्यता से वादों की बहुलता (Multiplicity of suits) को रोकना है। हस्तगत वाद में न्यायालय का मत है कि वादी द्वारा मा. न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्र.1 निम्बाहेड़ा में प्रस्तुत प्रकरण CO 3/2020 रामसिंह बनाम रतनपाल सिंह में जो निर्णय पारित होगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

→

यह हलगत प्रकरण पर भी लागू होगा। अब तक प्रकरण मे कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित रखी जाना उचित होगा। प्रकरण मे कार्यवाही स्थगित रखी जाती है। मा. न्याया. ADJ कोर्ट निम्बाहेड़ा मे हुए निर्णय यदि वादी पक्ष मे होता है इस प्रकरण मे कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जावेगी। पत्रावली निर्णीत मे शुमार होवे नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner